संख्या—2082/14—2—2016—800 (39)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग—2 **लखनऊ, दिनांक 23 अक्टूबर सितम्बर 2016**

विषयः— एटा—शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0—85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या—999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (संशोधित 0.0794) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या— 725/एटा/13100/2015, दिनांक 13—4—2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से एटा—शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0—85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या—999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 (संशोधित 0.0794) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में कतिपय सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2— अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 12—9—2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये कतिपय सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,
(आशीष तिवारी)
अनुसचिव

संख्या— 2082(1)/14—2—2017—तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।